प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

....

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

....

पत्रांक– 240/नि0शा0/2021–22 दिनांक–10-02-2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/ महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 398.61 लाख के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4/2022/02/सत्रह–म–2022–17–1002(002)/2/2022 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/ महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–17 में महिला वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख (रू0 तीन करोड़ निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 398.61 लाख (रू0 तीन करोड़ अटठानवे लाख इकसठ हजार मात्र) का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में से रू0 398.61 लाख के बजट का आवंटन इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया जाता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (151) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक–10-02-2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/ महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 398.61 लाख के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4/2022/02/सत्रह–म–2022–17–1002(002)/2/2022 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/ महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में महिला वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख (रू0 तीन करोड़ निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 398.61 लाख (रू0 तीन करोड़ अटठानवे लाख इकसठ हजार मात्र) का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में से रू0 398.61 लाख के बजट का आवंटन इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया जाता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (151) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 240 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FISH SEEDS HATICHERY FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 4602430	900000 4602430
	योग	वर्तमान प्रगामी	900000 4602430	900000 4602430

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियालीस लाख दो हजार चार सौ तीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS NIRMAN FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 1101030	50000 1101030
2	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	302000 5815900	302000 5815900
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	272000 13358600	272000 13358600
4	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	445000 949000	445000 949000
5	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	202000 6604430	202000 6604430
6	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	126000 9159000	126000 9159000
7	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	101000 857000	101000 857000
8	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 2411940	252000 2411940
9	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	89000 756040	89000 756040
10	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	126000 3195600	126000 3195600
11	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	126000 7575200	126000 7575200
12	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	76000 3185000	76000 3185000
13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	50000 11567000	50000 11567000
14	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	170000 6185200	170000 6185200
15	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	202000 7028000	202000 7028000
16	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	126000 3406600	126000 3406600
17	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	126000 30273060	126000 30273060
18	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	481000 5899000	481000 5899000
19	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 7314980	50000 7314980
20	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 12467100	252000 12467100
21	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	147000 555830	147000 555830
	योग	वर्तमान प्रगामी	3771000 139665510	3771000 139665510

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सैंतीस लाख इकत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ छियानवे लाख पैंसठ हजार पाँच सौ दस

(पूजा सेन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MITHE JAL ME BIO FALAK TALAB NIRMAN FEMALE 9-2-22
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	504000 10875000	504000 10875000
2	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1008000 20433000	1008000 20433000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1008000 24196720	1008000 24196720
4	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1008000 11203120	1008000 11203120
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1008000 8036000	1008000 8036000
6	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 3517000	504000 3517000
7	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 30777060	504000 30777060
8	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 16008560	1008000 16008560
9	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 27155660	1008000 27155660
	योग	वर्तमान प्रगामी	7560000 152202120	7560000 152202120

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर लाख साठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ बाइस लाख दो हजार एक सौ बीस

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 6402430	1800000 6402430
2	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 2304000	1800000 2304000
3	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 3373000	1800000 3373000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1800000 22288720	1800000 22288720
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	3600000 41430060	3600000 41430060
6	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 3013000	1800000 3013000
	योग	वर्तमान प्रगामी	12600000 78811210	12600000 78811210

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ छब्बीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ अठासी लाख ग्यारह हजार दो सौ दस

(पूजा रानी)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 9220420	900000 9220420
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 5763280	900000 5763280
3	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	900000 2389000	900000 2389000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 14707400	900000 14707400
5	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	900000 23188720	900000 23188720
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	900000 42330060	900000 42330060
7	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 30147060	900000 30147060
8	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 26147660	900000 26147660
	योग	वर्तमान प्रगामी	7200000 153893600	7200000 153893600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ अड़तीस लाख तिरानवे हजार छः सौ

(पूजा यमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL RAS BIOFALAK FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	270000 2403400	270000 2403400
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	270000 7449200	270000 7449200
3	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	540000 42870060	540000 42870060
4	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य ; --01--	वर्तमान प्रगामी	270000 12215100	270000 12215100
	योग	वर्तमान प्रगामी	1350000 64937760	1350000 64937760

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ उनचास लाख सैंतीस हजार सात सौ साठ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-INSULATED VAN FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 3123400	720000 3123400
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	720000 3109000	720000 3109000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 10195120	720000 10195120
4	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	720000 6826000	720000 6826000
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	1440000 44310060	1440000 44310060
	योग	वर्तमान प्रगामी	4320000 67563580	4320000 67563580

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तियालीस लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ पचहत्तर लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ अस्सी

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-09/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTRE FEMALE 09-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1440000 1880000	1440000 1880000
2	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 3280600	720000 3280600
	योग	वर्तमान प्रगामी	2160000 5160600	2160000 5160600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्कीस लाख साठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्यावन लाख साठ हजार छ: सौ

(पूजा समन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

18

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

कमांक	जनपद	मत्स्य बीज हैचरी /25.0 lacs/ unit					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एटा	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00

28/01/2022

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22 (धनराशि रू0 लाख में)

नये तालाब निर्माण महिला लाभार्थी

क्र0	जनपद	क्षेत्रफल हे0	धनराशि	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1.080	7.560	4.53	2.72	1.81	2.72
2	फिरोजाबाद	1.909	13.363	8.02	4.81	3.21	4.81
3	मैनपुरी	1.766	12.362	7.42	4.45	2.97	4.45
4	मथुरा	1.200	8.400	5.04	3.02	2.02	3.02
5	अलीगढ	0.200	1.400	0.84	0.50	0.34	0.50
6	हाथरस	0.200	1.400	0.84	0.50	0.34	0.50
7	कासगंज	0.800	5.600	3.36	2.02	1.34	2.02
8	मऊ	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	1.26
9	कानपुर नगर	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	1.26
10	इटावा	0.355	2.485	1.49	0.89	0.60	0.89
11	ललितपुर	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	1.26
12	गोण्डा	0.800	5.600	3.36	2.02	1.34	2.02
13	बलरामपुर	1.000	7.000	4.20	2.52	1.68	2.52
14	पीलीभीत	1.000	7.000	4.20	2.52	1.68	2.52
15	अमरोहा	0.580	4.060	2.44	1.47	0.97	1.47
16	बिजनौर	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	1.26
17	संभल	0.400	2.800	1.68	1.01	0.67	1.01
18	उन्नाव	0.200	1.400	0.84	0.50	0.34	0.50
19	लखीमपुरखीरी	0.675	4.725	2.83	1.70	1.13	1.70
20	वाराणसी	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	1.26
21	गाजीपुर	0.300	2.100	1.26	0.76	0.50	0.76
	प्रदेश योग	**14.965**	**104.755**	**62.85**	**37.71**	**25.14**	**37.71**

(रूपये सैंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021.22

क0	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/0.1hectare							
		महिला लाभार्थी							
		संख्या	क्षेत्रफल हे0	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
							केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मऊ	1	0.100	0.100	14.000	8.400	5.040	3.360	5.040
2	महाराजगंज	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	10.080
3	देवरिया	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	10.080
4	कुशीनगर	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	10.080
5	गोण्डा	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	10.080
6	मेरठ	1	0.100	0.100	14.000	8.400	5.040	3.360	5.040
7	गाजियाबाद	1	0.100	0.100	14.000	8.400	5.040	3.360	5.040
8	लखनऊ	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	10.080
9	मिर्जापुर	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	10.080
	प्रदेश योग	**15**	**1.500**	**1.500**	**210.000**	**126.000**	**75.600**	**50.400**	**75.600**

(रूपये पचहत्तर लाख साठ हजार मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कम	जनपद	वृहद आर0ए0एस0/वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एटा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
2	जालौन	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
3	बांदा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
4	गाजियाबाद	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
5	बाराबंकी	2	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
6	देवरिया	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
प्रदेश योग		**7**	**350.00**	**210.00**	**126.00**	**84.00**	**126.00**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / **Rs. 25 .0 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
2	गोरखपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
3	देवरिया	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
4	कुशीनगर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
5	झॉसी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
6	बाराबंकी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
7	बरेली	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
8	गाजीपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
प्रदेश योग		**8**	**200.00**	**120.00**	**72.00**	**48.00**	**72.00**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) 2021-22

क्रमांक	जनपद	लघु आर०ए०एस० वायोफलाक / Rs. 7.50 lacs/unit					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयागराज	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70
2	बलरामपुर	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70
3	बाराबंकी	2	15.00	9.00	5.40	3.60	5.40
4	वाराणसी	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70
प्रदेश योग		**5**	**37.50**	**22.50**	**13.50**	**9.00**	**13.50**

28/01/2022

8

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

क्रमांक	जनपद	इन्सुलेटिड वैन / **Rs. 20.0 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयागराज	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
2	गोण्डा	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
3	बाराबंकी	2	40.00	24.00	14.40	9.60	14.40
4	लखनऊ	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
5	गाजीपुर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
प्रदेश योग		**6**	**120.00**	**72.00**	**43.20**	**28.80**	**43.20**

28/01/2022

8

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर / **Rs. 20.00 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ललितपुर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20
2	अयोध्या	2	40.00	24.00	14.40	9.60	14.40
प्रदेश योग		**3**	**60.00**	**36.00**	**21.60**	**14.40**	**21.60**

28/01/2022

संख्या: 4/2022/02/ सत्रह-म-2022- 17-1002(002)/2/2022

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(7) JDF/DD(P)

31-01-2022
(डा० हरेन्द्र प्रसाद)
उ० नि० म० (प्र०)

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक:28जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 399.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16 /नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 04 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 851.50 लाख के सापेक्ष, वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में महिला वर्ग हेतु प्राविधानित बजट रू0 7759.75 लाख के अन्तर्गत कुल रू0 666.15 लाख (केन्द्रांश रू0 399.69 लाख + मैचिंग राज्यांश रू0 266.46 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 सितम्बर, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सामान्य (पुरूष + महिला) वर्ग हेतु अनुमोदित कुल केन्द्रांश रू0 3224.05 लाख (रू0 1710.84 लाख +1513.21 लाख) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 851.50 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 सितम्बर, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रदान किये गये प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार सामान्य वर्ग में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु 53.06 प्रतिशत तथा महिला वर्ग हेतु 46.94 प्रतिशत की धनराशि मात्राकृत है। तदनुसार पत्र दिनांक 30.09.2021 द्वारा सामान्य (पुरूष + महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 851.50 लाख मे से सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू0 441.81 लाख (53.06 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रू0 399.69 लाख (46.94 प्रतिशत) की केन्द्रांश धनराशि अवमुक्त की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत महिला वर्ग हेतु रू0 7759.75 का बजट प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू0 7759.75 में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत मात्र केन्दांश धनराशि रू0 399.69 लाख (रू0 तीन करोड निन्यानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 09

(5) DD(P)

01-02-22
राजेन्द्र सिंह
संयुक्त निदेशक मत्स्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम /वित्त पोषण (के036+रा024+महिला ला0 40 के0+रा0)	इकाई/ (है0/स0०)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फिनफिश हैचरियों की स्थापना	5	25.00	125.00	45.00	30.00	50.00	9.00	9.00
2	नये तालाबों का निर्माण	18.00	7.00	126.00	45.36	30.24	50.40	37.71	37.71
3	मीठे जल में वायोफलाक तालाबों का निर्माण	102.00	14.00	1428.00	514.08	342.72	571.20	75.60	75.60
4	बैकयार्ड लघु आर0ए0एस0 का निर्माण	5.00	3.00	15.00	5.40	3.60	6.00	1.08	1.08
5	वृहद आर0ए0एस0/ बायोफलाक का निर्माण	12	50.00	600.00	216.00	144.00	240.00	126.00	126.00
6	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफलाक का निर्माण	50	25.00	1250.00	450.00	300.00	500.00	72.00	72.00
7	लघु आर0ए0एस0 / बायोफलाक का निर्माण	11	7.50	82.50	29.70	19.80	33.00	13.50	13.50
8	इनसुलेटेड वाहन	8	20.00	160.00	57.60	38.40	64.00	43.20	43.20
9	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	10	20.00	200.00	72.00	48.00	80.00	21.60	21.60
						योग-		399.69	399.69

(रू0 तीन करोड निन्यानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तो के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश रू0 399.69 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है | अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा |

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0104 -प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा0 24/महिला लाभार्थी-40, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान – सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर / अशासकीय संख्या-ई-1-3507-दस-2021-2022 दिनांक 27. 01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव
(कृपा शंकर यादव)
Date: 28-01-2022 11:38:44
उप सचिव।
Reason: Approved

संख्या- ५ /2022/02 (1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।